राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (आपदा प्रबंधन एवं सहायता) , फलौदी

क्रमांकः सहायता / 2024 / दिनांकः–

:–आदेशः–

मौसम विभाग तथा अध्यक्ष महोदय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एवं राजस्थान जयपुर आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर राजस्थान द्वारा क्षेत्र में अत्यधिक बारिश एवं बाढ़ की संभावना को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। अलर्ट / चेतावनी के आधार पर फलौदी जिले में दिनांक 06.08.2024 को अत्यधिक बारिश एवं बाढ़ की संभावना को देखते हुए फलौदी जिले में संचालित कक्षा 01 से 12 तक के समस्त सरकारी, गैर सरकारी विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को बाढ़ प्रभाव / संभावित अनहोनी घटना से बचाने, विद्यार्थियों के हितार्थ एवं स्वास्थ्य के मध्यनजर जिले के संचालित विद्यालयों में अवकाश घोषित किया जाना अत्ति–आवश्यक है।

अतः मैं हरजी लाल अटल, जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, फलौदी, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अध्याय 04 की धारा 30 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए फलौदी जिले में संचालित कक्षा 01 से 12 तक के समस्त सरकारी, गैर सरकारी विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों के विद्यार्थियों हेतु 06.08.2024 को अवकाश घोषित करता हूं।

यह अवकाश केवल विद्यार्थियों के लिए लागू होगा शेष स्टॉफ (शैक्षणिक / गैर शैक्षणिक) यथावत कार्य करेगा। जिले के समस्त संस्थाप्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करेगे। यदि कोई भी संस्थाप्रधान विद्य ालय संचालन करता हुआ पाया जाता है तो उनके विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

(एच.एल.अटल)
जिला कलक्टर,
फलौदी

क्रमांकः सहायता / 2024 / दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान संभागीय आयुक्त जोधपुर।
2. अति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, फलौदी
3. उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, जोधपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी प्रथम / द्वितीय माध्यमिक / प्राथमिक फलौदी
5. उपखण्ड अधिकारी, समस्त फलौदी
6. तहसीलदार समस्त, जिला फलौदी।
7. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी फलौदी
8. उपनियंत्रक नागरिक सुरक्षा विभाग, जोधपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
9565646

Validity unknownSignature valid
Digitally signed by H Lal Atal
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2024.08.0 17:47:32 IST
Reason: Approved